न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 75/2021 Gcms No. 2021/202
दायरा तिथि : 02.09.2021
आदेष तिथि : 31-10-22

प्रार्थीगण :–

1. प्रवीणसिंह पुत्र मोतीसिंहजी जाति राजपुरोहित
   निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. इन्द्रसिंह पुत्र स्व0 सोहनसिंहजी जाति राजपुरोहित
   निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. ग्राम पंचायत शिवतलाव (सरपंच)

उपस्थिति :–

1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित बारवा — अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार..... — पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक : 31-10-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम शिवतलाव तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, जो कि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में ग्राम पंचायत विभाग के खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि बाबत् सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर के द्वारा कायम पत्रावली संख्या 1688/1984 में दिनांक 18.01.1985 को सहयक भू0प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर द्वारा केम्प साण्डेराव में पारित आदेश की अनुपालना में भूमि खातेदारान् के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् प्रार्थी जवानसिंह पुत्र कीकसिंह जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव के प्रार्थना पत्र पर कायम पत्रावली संख्या 1688/84 में केम्प साण्डेराव में सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर द्वारा ग्राम शिवतलाव के गत् खसरा नंबर 448 की भूमि निजी खातेदारो की भूमि होने से गत् खसरा नंबर 448 से बने हाल खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर की भूमि को सिवायचक से खातेदारान् के नाम निम्नानुसार दर्ज करने के आदेश दिनांक 18.01.1985 को पारित किये गये:–

1. रामपुरी पुत्र मुकनपुरी, देवपुरी पुत्र फुलपुरी गुसाई 1/3 हिस्सा
2. प्रभुसिंह, भोपालसिंह पि. गुमानसिंह 1/12 हिस्सा
3. सरदारसिंह पुत्र वरदा 1/12 हिस्सा
4. दाना पुत्र किशना, हमीरा पुत्र जेठा 1/12 हिस्सा
5. जवारा, कीका, जसा पि. मेगसिंह 1/12 हिस्सा
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र मगा, लाला समरथ 1/12 हिस्सा
7. पुनमसिंह पुत्र मगनसिंह पि0 अजा 1/12 हिस्सा
8. सोनसिंह पुत्र भबूतसिंह 1/6 हिस्सा

सैटलमेंट कार्यवाही के पश्चात् प्राप्त रेकर्ड में उक्त आदेश की पालना नहीं होकर सैटलमेन्ट बाद के अधिकार अभिलेखों में ग्राम शिवतलाव के हाल खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर ग्राम पंचायत के खाते में ही दर्ज चली आ रही है। रेकर्ड में भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज होने से अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि प्रार्थीगण के विरूद्व धारा 91 एल.आर. एक्ट. के तहत नोटिस देकर बेदखली की कार्यवाही एवं जुर्माना आरोपित करते है। जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, मात्र सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.01.1985 की अनुपालना नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में भूमि ग्राम पंचायत के खाते में त्रुटिपुर्ण तौर पर दर्ज है। अब चूँकि भूप्रबन्ध कार्यवाही के बाद उपखण्ड अधिकारी को सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी की शक्तियॉ प्राप्त होने से सहायक भू0 प्रबन्धं अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.1985 की पालना कराये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् प्रार्थी जवानसिंह पुत्र कीकसिंह जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 10.10.84 की प्रमाणित प्रति, उक्त प्रार्थना पत्र पर सहायक भू0 अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू0प्रबन्धक अधिकारी, जोधपुर द्वारा कायम पत्रावली संख्या 1688/84 में दिनांक 18.01.1985 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति, तथा आदेश की पालना में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार तरमीम पर्चा की सत्यापित प्रति, मिलान क्षैत्रफल की सत्यापित प्रति, वर्तमान जमाबंदी की नेट से निकाली गई प्रति पेश की गई। तथा दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर शिवतलाव के खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपुर्ण ग्राम पंचायत के खातेदारी को विलोपित करते हुये सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी के आदेशानुसार खातेदारो के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 01 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार बिन्दुवार पेश करते हुये निवेदन किया कि भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा तहसीलदार को किसी प्रकार के आदेश नहीं दिये गये। राजस्व विभाग को हस्तान्तरित अन्तिम मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर ग्राम पंचायत के खाते में गोचर दर्ज है। जो वर्तमान अधिकार अभिलेखो में इन्द्राज बदस्तुर कायम है।

पेज लगातार.....

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 75/2021 Gcms No. 2021/202

अनवान प्रवीणसिंह वगैरा बनाम राज.सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अधिकार अभिलेखों में भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज होने से अतिक्रमण करने पर अतिक्रमियों के विरूद्व नियमानुसार धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही की जाती हैं। अपने जवाब में वादग्रस्त भूमि गोचर होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री नरपतसिंह राजपुरोहित बारवा ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर द्वारा पत्रावली संख्या 1688/84 में केम्प साण्डेराव में दिनांक 18.01.1985 को पारित आदेशानुसार प्रार्थीगण के नाम ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर की भूमि दर्ज किये बाबत् रकर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अप्रार्थी पेरोकार द्वारा वकील प्रार्थी पक्ष की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि राजस्व विभाग को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा हस्तान्तरित अंतिम मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 में वर्णित आराजी शिवतलाव के खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर ग्राम पंचायत के खाते में बतौर गोचर दर्ज थी। तथा इसके बाद बनी जमाबंदियो में भी भूमि बदस्तुर आदिनांक बतौर गोचर ग्राम पंचायत के खाते मे दर्ज है, जो भूमि टिनेन्सी एक्ट. की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् प्रार्थी जवानसिंह पुत्र कीकसिंह जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव के प्रार्थना पत्र पर कायम पत्रावली संख्या 1688/84 में केम्प साण्डेराव में सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर द्वारा ग्राम शिवतलाव के गत् खसरा नंबर 448 की भूमि निजी खातेदारो की भूमि होने से गत् खसरा नंबर 448 से बने हाल खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर की भूमि को सिवायचक से खातेदारान् के नाम निम्नानुसार दर्ज करने के आदेश दिनांक 18.01.1985 को पारित किये गयेः–

1. रामपुरी पुत्र मुकनपुरी, देवपुरी पुत्र फुलपुरी गुसाई 1/3 हिस्सा
2. प्रभुसिंह, भोपालसिंह पि. गुमानसिंह 1/12 हिस्सा
3. सरदारसिंह पुत्र वरदा 1/12 हिस्सा
4. दाना पुत्र किशना, हमीरा पुत्र जेठा 1/12 हिस्सा
5. जवारा, कीका, जसा पि. मेगसिंह 1/12 हिस्सा
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र मगा, लाला समरथ 1/12 हिस्सा
7. पुनमसिंह पुत्र मगनसिंह पि0 अजा 1/12 हिस्सा
8. सोनसिंह पुत्र भबूतसिंह 1/6 हिस्सा

तथा पारित आदेशानुसार भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा तरमीम पर्चा भी जारी किया गया, परन्तु प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि उक्त आदेश एवं तरमीम पर्चा अनुसार राजस्व अभिलेखों मे इन्द्राज नहीं हुये तथा भू0प्रबन्ध कार्यवाही समाप्ति के बाद प्राप्त मिसल बन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056 में भूमि ग्राम पंचायत के खाते में बतौर गोचर दर्ज है। तथा इसके बाद के अधिकार अभिलेखों में भूमि आदिनांक तक गोचर दर्ज है। **प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में न तो भू0 प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज रहे है एवं न ही भू0प्रबन्ध के दौरान् कोई पर्चा लगान प्रार्थीगण के नाम जारी** किया गया। ग्राम शिवतलाव के हाल खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर अधिकार अभिलेखों में ग्राम पंचायत के **खाते में गोचर के तौर पर दर्ज होने के बावजुद विधिक प्रावधानो के विपरित प्रार्थीगण ने तथाकथित फुलपुरी पुत्र रामपुरी वगैरा जातिगण गुसाई निवासी शिवतलाव का हक स्वत्व नही होते हुये बेचान रजिस्ट्री से खरिद** की है। उक्त बेचाननामा का विधिक प्रावधानो के तहत कोई महत्व नहीं है। अर्थात् गोचर की भूमि का बेचान शून्य है। परन्तु उक्त प्रकरण में इसका विवेचन महत्वपुर्ण नहीं है। प्रश्नगत् प्रकरण धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरस्ती का है। जिसमें प्रार्थीगण स्वय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह प्रमाणित हैं कि वर्णित भूमि भूप्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में कभी खातेदारी दर्ज नहीं रही है, तथा न ही भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् कोई आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में जारी हुआ है। प्रार्थीगण तो **विधिक दृष्टि से शून्य गोचर भूमि के सबंध में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते** है। जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण का अनुतोष राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में गवर्न ही नही होता है। इसके साथ ही जिस भूमि की इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी चाही जा रही है, वह भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 711 रकबा 0.39 हैक्टर **ग्राम पंचायत शिवतलाव के खाते में बतौर गोचर दर्ज होने से टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने** से प्रार्थीगण खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं रहते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 31-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)